

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,

उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 15-04-2025

विषय: राहत आयुक्त कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित बजट के वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि एवं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें-090-सचिवालय-03-दैवी आपदा संबंधी अधिष्ठान" हेतु प्राविधानित धनराशि ₹0 145.01 लाख (रूपये एक करोड़ पैंतालीस लाख एक हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति देते हुए निम्न विवरण शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(धनराशि लाख रूपये में)			
क्र०सं०	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	01-वेतन	45.32	45.32
2	03-महंगाई भत्ता	27.19	27.19
3	04-यात्रा भत्ता	2.00	2.00
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
5	08-कार्यालय व्यय	16.00	16.00
6	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00	1.00
7	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
8	13- टेलीफोन पर व्यय	1.00	1.00
9	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	16.00	16.00
10	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00
11	42-अन्य व्यय	1.00	1.00

12	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3.00	3.00
13	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
14	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4.00	4.00
15	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	6.00	6.00
16	49-चिकित्सा व्यय	5.00	5.00
17	55-मकान किराया भत्ता	5.00	5.00
18	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4.00	4.00
योग		145.01	145.01

नियम व शर्त / प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
 - (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
 - (3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (4) राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान से प्रतिबद्ध मदों का व्यय वहन करने के पश्चात ही मितव्ययी मदों में उपयोग किया जायेगा।
 - (5) उक्त अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 5, भाग-1 के प्रस्तर- 369 - एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं 0 42 आई में शासन को उपलब्ध कराते हुये अगली किश्त की मांग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 2 -** इस संबंध में होने वाला व्यय ₹0 145.01 लाख (रूपये एक करोड़ पैंतालीस लाख एक हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें-090-सचिवालय-03-दैवी आपदा संबंधी अधिष्ठान के नामे डाला जायेगा।
- 3-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by भवदीय,
Shailendra Mani Tripathi
Date: 15-04-2025 (18:52:22) (शैलेंद्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव ।

संख्या-370 (1)/एक-10-2025-33(46) / 2023 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (प्रथम)/आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज ।
- 2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0
- 3- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन ।
- 4- वित्त नियंत्रक, 30प्र0, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
- 8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनुसचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-15/04/2025

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

370
001-370
51 राजस्व विभाग (द्वि विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवार्थ(आयोजन-मत्तदेय)

090 - सचिवालय
03 - दैवी आपदा सम्बन्धी अधिष्ठान

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहागाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	08-कार्यालय व्यय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12-कार्यालय कर्मीवर एवं उपकरण	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	42-अन्य व्यय	44-प्रशिक्षण	45-अवकाश हेतु यात्रा व्यय	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	49-विकल्पा व्यय	55-मकान किराया भत्ता	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	योग
	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरी0 वित्त एवं लेखाधिकारी-राहत आयुक्त सं0, लखनऊ-01--	वर्तमान 4532000 प्रणामी 4532000	2719000	200000	200000	1600000	1000000	1000000	1000000	1600000	500000	100000	300000	50000	400000	600000	500000	500000	400000	14501000
	योग	वर्तमान 4532000 प्रणामी 4532000	2719000	200000	200000	1600000	1000000	1000000	1000000	1600000	500000	100000	300000	50000	400000	600000	500000	500000	400000	14501000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया एक करोड़ पैंतालीस लाख एक हजार
रूपया एक करोड़ पैंतालीस लाख एक हजार

(सतीष कुमार)

वरिष्ठ विन एवं लेखाधिकारी

राहत आयुक्त कार्यालय

उत्तर प्रदेश।